न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठसीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

दावा सं0 : 37/2022

सायरीबाई पत्नी छगनलाल जाति बलाई निवासी खेडी तह0 बेगूं

...... वादीया

— बनाम —

1:— कस्तूरीबाई पत्नी स्व0 शम्भू लाल जाति बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
2:— संतोष बाई पुत्री स्व0 शम्भू लाल जाति बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
3:— कमला बाई पत्नी बालुलाल जाति बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
3:— श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय बेगूं
4:— श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चित्तौडगढ प्रतिनिधि राजस्थान सरकार

.......प्रतिवादीगण

उपस्थित :: गोपाल शर्मा
अधिवक्ता वादी
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रतिवादी

दिनांकः— 18.08.2025

निर्णय वाद अ0धा0 53—88 राज0का0अधि0

वादी की ओर से वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0 का अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि—

यह कि ग्राम आमल्दा प0म0 नंदवाई तह0 बेगूं की जमाबंदी खेवट खतोनी अंतिम चौसाला आधार संवत 2078—2078 जमाबंदी 2078 से स्थायी के खाता सं0 नया 265 में निम्नांकित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड है—

खसरा नं0	क्षेत्रफल(हैक्टेयर)
408	1.9700
409	0.9200
कुल किता 2	कुल रकबा — 02.8900 है0

उपरोक्त आराजीयात में वादीया का 1/2 हिस्सा दर्ज है एवं कब्जे काश्त में है। शेष 1/2 हिस्से में प्रतिवादी सं. 1 कस्तूरी बाई 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 संतोष बाई का 1/4 हिस्सा दर्ज जमावंदी है।

यह कि वादीया उक्त वर्णित आराजीयात में 1/2 हिस्सा की खातेदार होकर अपने हिस्से पर क़ाविज काश्त है।

यह कि इसी ग्राम आमल्दा तह0 बेगूं में जमाबंदी खेवट खतोनी अंतिम चौसाला आधार संवत 2078—2078 जमावंदी 2078 से स्थायी के खाता सं0 नया 262 में निम्नांकित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड है—

खसरा नं0	क्षेत्रफल(हैक्टेयर)
881/406	0.5900
कुल किता 1	कुल रकवा—0.5900 है0

उपरोक्त आराजी में वादीया का 15/59 हिस्सा दर्ज है जिसकी वादीया खातेदार होकर अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 कस्तूरी बाई का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 संतोष बाई का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 3 कमला बाई का 29/118 हिस्सा दर्ज है।

यह कि उक्त आराजी सं0 881/406 रकबा 0.5900 है0 में वादीया 15/59 हिस्सा की खातेदार है तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त है।

यह कि वादपत्र में अंकित खाता सं0 265 एवं 262 में वर्णित आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी की होकर सहखातेदार है। उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी की होने एवं सह खातेदार होने से सीमाबंदी को लेकर आपस में विवाद होता रहता है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने एवं बैंक आदि संस्थाओं से भूमि सुधार हेतु ऋण आदि लेने में काफी पेरशानी होती है। इसलिए वादीया खाता सं0 265 एवं 262 में वर्णित आराजीयात में दर्ज अपने हिस्से को अलग विभाजन कराकर पृथक से खाता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है जो न्याय संगत होकर विधि सम्मत है।

यह कि वादीया ने प्रतिवादी सं0 1 से 3 को तह0 में चलकर उक्त वर्णित आराजीयात का विभाजन कराने हेतु दिनांक 11.05.2022 को मौखित रूप से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया जिससे वाद कारण दिनांक 11.05.2022 को उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः वादीया न्यायालय श्रीमान से निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करती है–

(क) यह कि ग्राम आमल्दा प0म0 नन्दवाई की आराजी खसरा नं0 408 क्षेत्रफल 1.9700 है0 व खसरा नं0 409 क्षेत्रफल 0.9200 है0 कुल कीता 2 कुल रकबा 2.8900 है0 वादीया की एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि का मीट्स एंड बाउंडस के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी विभाजन कराया जाकर वादीया का 1/2 हिस्सा की भूमि का राजस्व रिकार्ड में पृथक से खाता दर्ज करने की डिक्री प्रदान करायी जावे।

(ख) यह कि ग्राम आमल्दा प0म0 नन्दवाई की आराजी खसरा नं0 881/406 रकबा 0.5900 है0 भूमि वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1,2 व 3 के संयुक्त खातेदारी की है जिसका मीट्स एंड बाउंडस के आधार पर वादीया की एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि का मीट्स एंड बाउंडस के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी विभाजन कराया जाकर वादीया का 1/2 हिस्सा की भूमि का राजस्व रिकार्ड में पृथक से खाता दर्ज करने की डिकी प्रदान करायी जावे।

(ग) यह कि वादपत्र में अंकित खाता सं0 265 एवं 262 में वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात का विभाजन मीट्स एंड बाउंडस के आधार पर वादपत्र अनुसार वादीया के पक्ष में किया जाकर राजस्व रिकार्ड में भी वादीया का पृथक से खाता दर्ज कराया जाने की डिकी प्रदान कराई जावे।

(घ)अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावे।

वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलव किया गया। प्रतिवादी सं0 1, 2 एवं 3 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिससे इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तदोपरांत वादीया की ओर से श्यामलाल पिता उदयराम के साक्ष्यवादी में बयान कलमबद्ध करा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

अवलोकन में पाया कि वादपत्र में अंकित वाद वर्णित आराजी खाता सं0 265 एवं 262 में वादी का हिस्सा 1/2 एवं 15/59 दर्ज है जिसका वादीया विभाजन कराने का अधिकारी पाया जाता है। इसी हिस्सा अनुसार विभाजन किया जाना न्यायसंगत है।

अतः वाद वादी का अंतर्गत धारा 53 राज0का0अधि0 का स्वीकार किया जाता है। वादपत्र में अंकित ग्राम आमल्दा प0म0 नंदवाई तह0 बेगूं की खाता सं0 265 में वर्णित आराजीयात खाता सं0 408, 409 कुल कीता 2 कुल रकबा 02.8900 है0 में वादीया का 1/2 हक हिस्सा एवं खाता सं0 262 में वर्णित आराजीयात 881/406 में वादीया का 15/59 हक हिस्सा एवं शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार आराजी में विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1500/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए मूल नक्शा ट्रेस दो प्रति में इस न्यायालय में पेश करे।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूं के पत्र कमांक/राजस्व(कोर्ट)/2025/575 दिनांक 04.07.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा आमल्दा पटवार हल्का नन्दवाई की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

वादिया

1– श्रीमति सायरीदेवी पति छगनलाल बलाई सा. खेड़ी देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
408 मे से	0.9850		
409 मे से	0.4600		
881/406 मे से	0.1500		
कीता– 03	1.595 हैक्टर		

प्रतिवादी

श्रीमति कस्तुरीवाई पत्नि स्व.शम्भूलाल 1/2, संन्तोष पुत्री शंम्भूलाल 1/2, सा. देह खातेदार :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
408 मे से	0.9850		
409 मे से	0.4600		
कीता– 02	1.4450 हैक्टर		

प्रतिवादी

श्रीमति कमलावाई पति बालूलाल हिस्सा 29/88, (2) श्रीमति कस्तुरीबाई पत्नि स्व.शम्भूलाल 59/176, (3) संन्तोष पुत्री शंम्भूलाल 59/176, बलाई सा. देह खातेदार :–

सा. नाल खातेदार रहन वदस्तुर जमाबंदी अनुसार :–

आराजी संख्या	रकवा हैक्टर	किस्म	लगान
881/406 मे से	0.4400		
कीता– 01	0.4400 हैक्टर		

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
(सहायक कलेक्टर,)
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूं

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

दावा सं0 : 37/2022

सायरीबाई पत्नी छगनलाल जाति बलाई निवासी खेडी तह0 बेगू
.... वादीया

– बनाम –

1:– कस्तूरीबाई पत्नी स्व0 शम्भू लाल जाति बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
2:– संतोष बाई पुत्री स्व0 शम्भू लाल जाति बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
3:– कमला बाई पत्नी बालुलाल जाति बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
3:– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय बेगूँ
4:– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चित्तौडगढ प्रतिनिधि राजस्थान सरकार
.......प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी की ओर कोई नही एक तरफा आदेश में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 18.08.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा आमल्दा पटवार हल्का नन्दवाई की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– श्रीमति सायरीदेवी पति छगनलाल बलाई सा. खेडी देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
408 मे से	0.9850		
409 मे से	0.4600		
881/406 मे से	0.1500		
कीता– 03	1.595 हैक्टर		

श्रीमति कस्तुरीबाई पत्नि स्व.शम्भूलाल 1/2, संन्तोष पुत्री शंम्भूलाल 1/2, सा. देह खातेदार :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
408 मे से	0.9850		
409 मे से	0.4600		
कीता– 02	1.4450 हैक्टर		

श्रीमति कमलाबाई पति बालूलाल हिस्सा 29/88, (2) श्रीमति कस्तुरीबाई पत्नि स्व.शम्भूलाल 59/176, (3) सन्तोष पुत्री शंम्भूलाल 59/176, बलाई सा. देह खातेदार :–
सा. नाल खातेदार रहन बदस्तुर जमाबंदी अनुसार :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
881/406 मे से	0.4400		
कीता– 01	0.4400 हैक्टर		

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

606
23-8-25

पालनार्थ तहसीलदार बेगूं को प्रेषित है।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौडगढ़)